भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1209
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई का चौथा चरण

1209. श्री तारिक अनवर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सितंबर 2024 में आकांक्षी जिलों के लिए बारहमासी संपर्क प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण को मंजूरी दी है;

(ख) इस चरण के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश क्या हैं और यह अन्य जिलों में कार्यान्वयन से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) क्या राज्यों द्वारा चौथे चरण के अंतर्गत पात्र संपर्क रहित बस्तियों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से किया जा रहा है और यदि हां, तो इस पहल के अंतर्गत अब तक, विशेष रूप से बिहार के कटिहार जिले सहित चयनित सड़कों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न चरणों के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आवंटन और व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और बिहार के कटिहार जिले के विशिष्ट आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) भारत सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों , विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली पात्र सड़क संपर्करहित बस्तियों को बाहरमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए 11.09.2024 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण -IV यानी पीएमजीएसवाई-IV को मंजूरी दी गई है।

(ख) पीएमजीएसवाई-IV के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं , जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी की वेबसाइट @pmgsy.nic.in ->PMGSY Guidelines-> PMGSY-IV

पर देखा जा सकता है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में बस्तियों के लिए जनसंख्या पात्रता मानदंड 500+ है, आकांक्षी जिलों के लिए जनसंख्या मानदंड को 250+ तक शिथिल कर दिया गया है।

(ग) जी हां, पीएमजीएसवाई-I V के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से विस्तृत सर्वेक्षण के बाद पात्र बस्तियों की पहचान करेंगे और योजना का कार्य जियो -सड़क यानी जीआईएस मॉड्यूल और पीएम-गति शक्ति की मदद से किया जाएगा। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पात्र सड़क संपर्करहित बस्तियों की पहचान करने के लिए वर्तमान में कटिहार जिले सहित देश भर में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

(घ) पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए निधियों का आवंटन राज्य /संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित है और यह अन्य के साथ -साथ, राज्यों के पास मौजूद कार्यों , राज्य की निष्पादन क्षमता और राज्य के पास उपलब्ध पिछली जारी निधियों की अप्रयुक्त शेष राशि पर निर्भर करता है। निधियां (केन्द्रीय अंश) समग्र रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं तथा इसके अतिरिक्त , संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला /उप-जिलावार निधियों का वितरण किया जाता है। मंत्रालय जारी की गई निधियों का जिला -वार ब्यौरा नहीं रखता है। हालाँकि, बिहार के कटिहार जिले सहित पीएमजीएसवाई के विभिन्न चरणों में किए गए व्यय को omms.nic.in -> Progress Monitoring-> MPR1 पर देखा जा सकता है। कटिहार जिले में राज्य अंश सहित व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**व्यय (07.02.2025 की स्थिति के अनुसार)**
2011-12	107.17
2012-13	25.54
2013-14	12.52
2014-15	27.02
2015-16	87.33
2016-17	81.09
2017-18	51.08
2018-19	49.98
2019-20	35
2020-21	57.2
2021-22	54.78
2022-23	61.5
2023-24	132.15
2024-25	289.96
कुल	**1072.32**

***